प्रकरण संख्या 28/2014 रूपसिंह बनाम शंकरसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.12.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 तथा रामा व वना ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी नंबर 1240, 1241, 1243, 1245 व 1246 कुल किता 5 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा 10 बिश्वांसी भूमि मौजा सदारण में स्थित है, जिसमें वादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा व वादी संख्या 2 से 5 का 1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 36 का 5/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 37 का 1/12 हिस्सा है। वादीगण की जमीन मौके व रेकार्ड पर अलग–अलग नहीं होने से आये दिन विवाद होते हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन किया जाकर खातेदार घोषित किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.01.2013 से वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर प्रकरण में दिनांक 20.02.2014 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 01.10.2014 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री भगवानलाल पालीवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 29 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अंतिम डिक्री एबइनिश्योवोइड होकर बिना अधिकार के है, क्योंकि फर्ट बंटवारा तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया था। अंतिम डिक्री प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में पारित की गयी। जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को सर्वप्रथम दिनांक 15.09.2014 को [illegible]कार के माध्यम से हुई	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.01.10 12:48:36 IST
Reason: SelfAttested

जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें **RRD 1992 page 17, RRT 2011 (1) page 602** प्रस्तुत की।

हमने उक्त आवेदन पर मनन कर उक्त न्यायिक नजीरों का अवलोकन किया। उपरोक्त न्यायिक नजीरों अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए विलम्ब को माफ किया गया है। तद्नुसार न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीगण पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 29.12.2015, पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27.06.2018, पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 25.09.2017, पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 07.09.2017, पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18.11.2016, नकल जमाबन्दी खतौनी संख्या 466 संवत् 2071 से 2074, नकल जमाबन्दी खतौनी संख्या 370 संवत् 2071 से 2074, नकल जमाबन्दी खतौनी संख्या 370 संवत् 2071 से 2074 प्रस्तुत की गयी है, जो न्यायिक निर्णय के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज होने से न्यायहित में उन्हें रेकार्ड पर लिया जावे।

हमने उक्त आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात तथा न्यायिक नजीरों पर मनन किया। प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18.11.2016 मात्र फोटो प्रति है, शेष दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां होने से न्यायहित में रेकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

वक्त बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर जारी की है, जबकि न्यायालय द्वारा तहसीलदार को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। अंतिम डिक्री में राजस्व नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है एवं अपीलान्ट की खरीदशुदा व कब्जे की जमीन व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 शंकरसिंह की बताकर अंतिम डिक्री जारी कर दी जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री निरस्त की जावे तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.01.10 12:48:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 28/2014 रूपसिंह बनाम शंकरसिंह

अपीलान्टगण को विवादित भूमि के 1/8 + 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर इसी अनुसार बंटवारा किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध फर्द बंटवारा तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है, जबकि तहसीलदार को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था तथा पटवारी हल्का इसके लिए अधिकृत नहीं थे। तहसीलदार अपनी शक्तियों को डेलीगेट नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 31.07.2013 में स्पष्ट अंकित किया है कि ''उपस्थित विपक्षी श्री नारायणसिंह पिता भीमसिंह ने बताया कि उन्होंने उक्त खाते में स्थित भूमि में से गुमानसिंह, मानसिंह, तेजसिंह पिता गेनसिंह का हिस्सा क्रय कर रखा है तथा उक्त भूमि को हमारे नाम पर कराने की कार्यवाही तहसील में विचाराधीन है तथा उक्त भूमि से सम्बन्धित वाद उपखण्ड कार्यालय में कर रखा है।'' ऐसी स्थिति में पटवारी हल्का द्वारा तैयार उक्त पर्चा मौका के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो अंतिम डिक्री जारी की गयी है वह प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 20.02.2014 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में तहसीलदार भीम स्वयं मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति फर्द बंटवारा तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय उक्त फर्द बंटवारे पर पक्षकारान को सुनकर नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान दिनांक 20.02.2023 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita (Meena मीना)
Date: 2023.01.10 12:48:36 IST
Reason: SelfAttested

(अनिता मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर